भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 228
सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

बेरोजगार व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े

228. श्री धर्मवीर सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में राज्य-वार आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने हरियाणा में नए रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कोई योजना चलाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत हरियाणा में कितने लोगों को रोजगार मिला है; और
(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान हरियाणा में बेरोजगारी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जा रहे हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, हरियाणा सहित देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर अनुबंध-। में दी गई हैं।

रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 20.11.2021 को 1.15 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.43 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यापार फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना। हरियाणा सहित देश में योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-।। पर दिया गया है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रम भी उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 29.11.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क), (ख) एवं (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार	बेरोजगारी दर (% में)		
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	4.5	5.3	4.7
2	अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7	6.7
3	असम	7.9	6.7	7.9
4	बिहार	7.0	9.8	5.1
5	छत्तीसगढ	3.3	2.4	3.3
6	दिल्ली	9.4	10.4	8.6
7	गोवा	13.9	8.7	8.1
8	गुजरात	4.8	3.2	2.0
9	हरियाणा	**8.4**	**9.3**	**6.4**
10	हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1	3.7
11	झारखंड	7.5	5.2	4.2
12	कर्नाटक	4.8	3.6	4.2
13	केरल	11.4	9.0	10.0
14	मध्य प्रदेश	4.3	3.5	3.0
15	महाराष्ट्र	4.8	5.0	3.2
16	मणिपुर	11.5	9.4	9.5
17	मेघालय	1.6	2.7	2.7
18	मिजोरम	10.1	7.0	5.7
19	नागालैंड	21.4	17.4	25.7
20	ओडिशा	7.1	7.0	6.2
21	पंजाब	7.7	7.4	7.3
22	राजस्थान	5.0	5.7	4.5
23	सिक्किम	3.5	3.1	2.2
24	तमिलनाडु	7.5	6.6	5.3
25	तेलंगाना	7.6	8.3	7.0
26	त्रिपुरा	6.8	10.0	3.2
27	उत्तराखंड	7.6	8.9	7.1
28	उत्तर प्रदेश	6.2	5.7	4.4
29	पश्चिम बंगाल	4.6	3.8	4.6
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5	12.6
31	चंडीगढ़	9.0	7.3	6.3
32	दादरा और नगर हवेली	0.4	1.5	3.0
33	दमन और दीव	3.1	0.0	2.9
34	जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1	6.7
35	लद्दाख	-	-	0.1
36	लक्षद्वीप	21.3	31.6	13.7
37	पुडुचेरी	10.3	8.3	7.6
	अखिल भारत	**6.0**	**5.8**	**4.8**

स्रोत: पीएलएफएस 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट, एमओएसएंडपीआई

अनुबंध -II

लोक सभा के दिनांक 29.11.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सृजित रोजगार का विवरण

योजनाएं		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (नवम्बर 2021 को)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत सृजित मानव दिवस (करोड़ में) ^	अखिल भारत	268.00	265.00	389.00	236.61
	हरियाणा	0.78	0.91	1.80	0.94
पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)*	अखिल भारत	1.38	1.50	0.50	0.21
	हरियाणा	0.03	0.06	0.01	0
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत अनुमानित सृजित रोजगार (लाख में)#	अखिल भारत	5.87	5.33	5.95	2.90
	हरियाणा	0.17	0.16	0.14	0.06
दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन (लाख में)$	अखिल भारत	1.90	0.72	0.07	-
	हरियाणा	0.04	0.02	0.006	-

^स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

*स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय (https://kaushalpragati.nic.in)

#स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

$स्रोत: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

टिप्पणी : आंकड़े अगले दशमलव तक पूर्णांकित किए गए हैं